

03/11/22

पत्रावली पेज हमी। वादिया व वकील
वादिया अनुपस्थित। बार-बार आवाज
लगावारी जमी। आवाज लगावारे के उपरान्त
भी वादिया की ओर से कोई उपस्थित
नही हुआ। अतः वादिया का वाद पत्र अदालत
हाजरी अदालत पैरवी में खारीज किया जाता
है। पत्रावली फॉर्मल शुभ होकर नम्बर 17
करा होकर पत्र वाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)